पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स दिल्ली

प्रैस विज्ञप्ति

पी.यू.डी.आर. आज अपनी रिपोर्ट 'काओ विजिलांतिज़म : क्राइम, कम्युनिटी एंड लाइवलीहुड, जनवरी 2016 से मार्च 2018' जारी कर रहा है। इस रिपोर्ट में जनवरी 2016 से मार्च 2018 के बीच घटित गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की घटनाओं का विश्लेषण है। इन गौ–गुंडागर्दी या विजिलांते गतिविधियों को हिंदी एवं अंग्रेजी अखबारों और तथ्यान्वेषी रिपोर्टो के माध्यम से इकट्ठा किया गया है। पी.यू.डी.आर. ने जनवरी 2016 से लेकर अब तक की 137 गौ–गुंडागर्दी (गौ–विजिलांतिज्म) गतिविधियों का लेखाजोखा तैयार किया है। इन घटनाओं में 20 हत्या की वारदाते है जिनमें कुल 29 लोगों की जानें गयीं थीं। यह रिपोर्ट आर.एस.एस. और बीजेपी के बढ़ते सांप्रदायिक और जातिवादी मानसिकता को दर्शाती है जिसके तहत मुस्लिमों और दलितों पर 2015 से लगातार हिंसा हो रही है। गाय के नाम पर हो रही हिंसा को समझने के लिए विजिलांते गतिविधियों का विश्लेषण करना एक अनिवार्यता बन जाती है। हमारी रिपोर्ट उस वक्त जारी की जा रही है जब गौ रक्षकों और एक बीजेपी नेता द्वारा अलिउद्दीन उर्फ असगर अंसारी की हत्या किये जाने के मामले में, ट्रायल कोर्ट ने हत्यारों को सजा सुनाई है। हत्या की बीस वारदातों में से न्यायालय का यह फैसला पहला और एक मात्र निर्णय है जहाँ हमलावरों को सजा हुई है (pg 16, table &licence to kill)। आज जबकि 136 मामले जिनमें 19 हत्याएं भी शामिल है, न्याय का इंतजार कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट इन मामलों को गौ विजिलांते राजनीति के परिपेक्ष्य में समझने की कोशिश कर रही है।

गौ विजिलांतिज्म एक ऐसा अपराध है जिसके ज़रिये मुस्लिमों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है और जिसे पुलिस की मिली भगत से राज्य का संरक्षण मिला हुआ है। हिंसा की उपरोक्त 137 घटनाओं में से 106 वे घटनाएँ है जहाँ हमें पीड़ित की पहचान का पता चला। इन में से 75 प्रतिशत घटनाएँ मुस्लिमों के खिलाफ हुईं और 12 प्रतिशत दलितों के। हमारे आंकड़े गाय के नाम पर हो रही गुंडागर्दी के कई आयाम सामने रखते हैं जिनमें हत्या, हमला, नंगा करना, आगजनी सम्पति को नुकसान पहुँचाना, बंदी बनाना, हफ्ता वसूलना, घरों पर छापा मारना, गाड़ियाँ और मवेशी जब्त करना, दुकानों को जबरन बंद करवाना, इत्यादि शामिल हैं। ये सारे अपराध गौरक्षकों द्वारा कहीं व्यवस्थित तो कहीं अव्यवस्थित तरीके से, कहीं पुलिस की जगह, तो कहीं उनकी मदद से, अंजाम दिये गए। गौरक्षकों ने इन घटनाओं में पीड़ितों पर आरोप लगाए कि वे या तो मवेशियों को मारने ले जा रहे हैं या उनके पास गौमांस (बीफ) पाया गया है। गौरक्षकों द्वारा किये गये तमाम किस्म के हमले भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत गंभीर अपराध हैं फिर भी राज्य उनको अनदेखा करता जा रहा है। इससे राज्य और गौरक्षकों की मिलीभगत सामने आती है। हमारी रिपोर्ट ये भी सामने रखती है कि गौ विजिलांतिज्म मुस्लिमों और दलितों पर एक तरह का आर्थिक हमला भी है जहाँ उन व्यवसायों को निशाना बनाया जा रहा है जिनमें इन वर्गों के लोग सबसे अधिक संख्या में हैं। हमारी रिपोर्ट यह भी सिद्ध करती है कि गौकशी पर प्रतिबन्ध लगाने वाले कानून दरअसल गौ रक्षकों को कानूनी संरक्षण देते हैं। हमारी रिपोर्ट में गौ–विजिलांतिज्म के तहत हो रही सामाजिक, कानूनी और आर्थिक हिंसा को सामने लाया गया है। गौ–विजिलांतिज्म की एक संकीर्ण समझ, जो कि केवल हत्याओं और हमलों तक ही सीमित है, के विपरीत इस रिपोर्ट में पी.यू.डी.आर. ने इसकी पूरी राजनैतिक अर्थव्यवस्था और अन्य आयामों का विश्लेषण किया है।

1) पीड़ित

जैसा कि हमनें बताया कि पीड़ितों में 75 प्रतिशत मुस्लिम और 12 प्रतिशत दलित हैं। मवेशी संबंधित व्यवसाय से जुड़े मुस्लिम खासतौर पर निशाना बनाए जा रहे हैं, जिनमें किसान, मवेशी और गौमांस व्यापारी, दूध विक्रेता, कसाई, चमड़ा उतारने वाले, वाहन चालक, चरवाहे, शामिल हैं। हिन्दुत्व एजेंडे के तहत मुस्लिम वर्ग पर हमले पूरी तरह से सांप्रदायिक हैं। उनकी जीविका और खानपान के रुझानों से जुड़े व्यवसायों को, खासतौर पर मांस के व्यापार और मवेशी और गौमांस की आवाजाही को निशाना बनाया जा रहा है।

दलितों पर हमला जातिवादी मानसिकता का प्रतीक है। चार घटनाओं में दलितों पर हमला उनकी चमड़ा उतारने की जीविका से जुड़ा दिखाई पड़ा जो कि एक जाति आधारित व्यवसाय है। इन घटनाओं में दलितों पर चोरी और गौकशी का आरोप लगाया गया था। चार अन्य घटनाएँ उन दलितों के साथ हुईं जिन्होंने जाति आधारित काम को नकारते हुए, एक प्रतिरोध के रूप में गाय के शव को हटाने से मना कर दिया था (pg - 31&32, table caste vigilantism)। इन घटनाओं में खुलकर सामने आता है कि विजिलांतिज्म जाति आधारित व्यवसाय और उसके तहत दमन को बनाये रखने का एक तरीका है, खासतौर पर जहाँ दलित सक्रिय होने की कोशिश में हैं। कई सारी ऐसी गौ–गुंडागर्दी की घटनाओं में हमलावरों पर खिलाफ एस.सी./एस.टी. ऐक्ट तो लगाया गया है परन्तु ऊना जैसी बड़ी घटना में भी कानूनी ढिलाई दिखाई पड़ती है। ऊना हिंसा के सन्दर्भ में कुल 43 हमलावरों को गिरफ्तार तो किया गया पर सितम्बर 2017 तक उन में से 32 को जमानत पर छोड़ दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने वादा तो किया था कि मामले में विशेष न्यायालय में सुनवाई होगी पर ऐसे किसी न्यायालय का गठन नहीं हुआ और केस अभी भी सत्र न्यायालय में घिसट रहा है।

2) राजनैतिक सन्दर्भ

2.1 चुनावी राजनीति : बीजेपी के सत्ता में आने और गौ–गुंडागर्दी की बढ़ती वारदातों के बीच का सम्बन्ध निम्नलिखित आंकड़ो में साफ दिखाई देता है। 22 राज्यों के हमारे आंकड़ो में 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार रही है (2016 से 2018 के बीच अलग अलग समय पर), 137 में से 93 घटनाएँ बीजेपी या उनकी गठबंधन सरकारों के अधीन हुए हैं (pg-1, pg 3&4 table, Lawlessness, laws, state governments)। मुस्लिमों के खिलाफ हमले सबसे ज़्यादा उन राज्यों में हुए है जहाँ बीजेपी काफी मजबूत है जैसे उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश। उत्तरप्रदेश हालांकि इन पैटर्न में एक अवसाद के रूप में नज़र आता है। इस राज्य में जहाँ एक तरफ सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, 137 में से 32, वहीं दूसरी तरफ 32 में से 24 घटनाएँ बीजेपी की सरकार बनने से पहले हुईं। इस से पता चलता है कि उत्तरप्रदेश में जहाँ आर.एस.एस. जैसे हिन्दुत्ववादी संगठन 1966 से ही सक्रिय रहे हैं गाय पर राजनीति काफी समय से हो रही थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2002 में गठित संगठन हिन्दू युवा वाहिनी के जरिये ये संगठन खुद को स्थापित कर रहे है (pg1)। दलितों के खिलाफ हुई 12 घटनाओं में से 8 गुजरात में हुईं जो कि बीजेपी की जातिवादी राजनीति की कार्यशाला है। परन्तु गौ–विजिलांतिज्म को केवल चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे राज्य जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ भी गौ–गुंडागर्दी दिखाई पड़ती है जैसे कि पश्चिम बंगाल जहाँ ना तो गौकशी पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध है ना गौमांस पर।

2.2 संशोधित कानून : गौ संरक्षण कानूनों में बीजेपी शासित राज्यों जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश इत्यादि में सक्रियता से हाल में संशोधन लाये गये हैं। इनके तहत सजा में कड़ाई की गयी है, व्यापार और किन किस्मों के मवेशियों को मारा जा सकता है, उस पर और ज़्यादा प्रतिबन्ध लगाये गये हैं (pg 2)। मध्यप्रदेश के कानून में नवम्बर 2017 में संशोधन के जरिये एक और अपराध जोड़ा गया–गैरदुधारू गाय को लावारिस छोड़ देना। 2015 में बीजेपी सरकारों द्वारा लाये गये संशोधनों के जरिये महाराष्ट्र कानून की धारा 7 और हरियाणा कानून की धाराओं 16 और 17 के तहत ना केवल पुलिस बल्कि राज्य द्वारा चयनित किसी भी व्यक्ति के पास मवेशी ले जाते हुए वाहनों को रोकने, तलाशी लेने और वाहन तथा मवेशी जब्त करने का अधिकार है। ये संशोधन खुले तौर पर गौ–गुंडागर्दी को बढ़ावा देते है। जबरन गाड़ी रोकने, तलाशी लेने, बंदी बनाने और जब्त करने की बढ़ती घटनाओं में इन संशोधनों का प्रभाव साफ दिखता है (pg 8)।

3) गौरक्षक और गौ–गुंडागर्दी

3.1 ज्यादातर घटनाओं में देखने को मिला कि गौरक्षक व्यवस्थित समूहों का भाग हैं हालांकि ऐसी घटनाएँ भी सामने आईं जिनमें स्थानीय हिन्दुओं ने भीड़ के रूप में पीड़ितों पर हमले किये। शारीरिक हिंसा और जान माल को नुकसान पहुँचाने वाली कई घटनाओं में प्रत्यक्ष रूप से दक्षिणपंथी संगठनों की भागीदारी दिखाई दी जैसे वी.एच.पी., बजरंग दल, हिन्दू युवा वाहिनी (उत्तरप्रदेश), युवा सेना (उड़ीसा), गौसंवर्धन समिति (महाराष्ट्र)। ये सभी संगठन अपराधी गिरोहों की तरह काम करते हैं (pg -8, repercussions)। गौरक्षक मुख्यतौर पर प्रभुत्व हिन्दू जातियों का हिस्सा हैं।

3.2 गौरक्षकों के अपराध

- हत्याएं – 20 घटनाएँ जिनमें 29 लोगों की जानें गयीं। पुलिस और गौरक्षकों की पीड़ितों के साथ भिडंत में गयी जानें भी एक तरह से गौ–गुंडागर्दी का हिस्सा हैं जिनकी गिनती आमतौर पर गौरक्षकों द्वारा किये गये अपराधों में नहीं की जा रही है जैसे 19 अगस्त 2016, महेंद्रगढ़, हरियाणा में हुई घटना (pg-17 table, killings)।

- शारीरिक और यौन हिंसा – कम से कम 60 शारीरिक हिंसा की घटनाएँ और तीन यौन हिंसा की।

- आगजनी, सम्पत्ति का नुकसान, चोरी – गौरक्षकों द्वारा आगजनी, गाड़ियों को नुकसान, घरों और दुकानों पर हमले तथा कीमती वस्तुओं की चोरी की भी कई घटनाएँ हुई हैं। आगजनी की घटनाओं में गौरक्षकों ने कई बार दंगों जैसा माहौल भी बना दिया है।

- नंगा करना और सर मुंडवाना – 2016 और 2017 में चार ऐसी घटनाएँ सामने आईं जिनमें गौरक्षकों द्वारा पीड़ितों के कपड़े उतरवाये गये और जनवरी 2018 की एक घटना में पीड़ितों के सर मुंडा कर परेड करवायी गयी। इन घटनाओं में पीड़ितों पर चोरी और गौकशी के इल्ज़ाम लगाये गये थे। 'सज़ा' के ये तरीके क्रूर सामंतवादी और जातिवादी व्यवस्था का प्रतीक हैं।

- अपमानित और ज़ोर ज़बरदस्ती करना – इनमें ऐसी घटनाएँ शामिल हैं जहाँ मुस्लिमों को ज़बरदस्ती गौमूत्र और गोबर खिलाया गया, जय श्री राम बुलवाया गया, शुद्धिकरण के नाम पर उन पर गोमूत्र छिड़का गया और जाति पंचायत द्वारा एक हिन्दू किसान को बछड़े की अकस्मात मृत्यु के लिए कई तरह से पश्चाताप करवाया गया (pg - 7)।

- दुकानों और खाने की जगहों को मांस बेचने के नाम पर जबरन बंद करवाना
- हफ़्तावसूली करना
- मवेशी और वाहन जब्त करना – इन में कई ऐसी घटनाएँ भी हैं जहाँ मवेशियों को गौरक्षकों ने जबरन अपने कब्ज़े में ले लिया और कुछ घटनाओं में पुलिस ने या तो मवेशियों को खुद गौरक्षकों को सौप दिया या उन्हें गौशाला भेज दिया। कई घटनाओं में पुलिस ने गौरक्षकों द्वारा सूचित किये जाने पर पीड़ितों पर कार्यवाही की।

4) कानून और जीविकाएँ

गौरक्षकों द्वारा किये गये हमलों का एक आर्थिक दुष्परिणाम भी है ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ खास जीविकाओं को निशाना बनाया जा रहा है। गौरक्षा से जुड़े कानून इन हमलों को कानूनी वैधता देते हैं। इन कानूनों ने गौकशी के साथ साथ कई और तरह की गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में ला खड़ा किया है जैसे मवेशियों की आवाजाही, गौ मांस का सेवन, बिक्री या किसी के पास उसका पाया जाना। इन गतिविधियों द्वारा संचालित मवेशी अर्थव्यवस्था से जुड़े किसान, मवेशी और मांस व्यापारी, छोटे दुकानदार, वाहन चालक, चरवाहे, चमड़ा उतारने वाले, जैसे कई अन्य लोगों को इन कानूनों ने अपराधियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। ऐसे कानूनों को लागू करना विजिलांते व्यवस्था को बढ़ावा देता है।

4.1 मवेशियों के व्यापार और आवाजाही का अपराधीकरण – हमले की सबसे ज़्यादा वारदातें, कम से कम 53, मवेशियों की आवाजाही के दौरान हुईं। 20 हत्या की घटनाओं में से 15 घटनाएँ जिनमें कुल 21 लोगों की जानें गयी, मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने या उनके व्यापार से सम्बन्धित थीं। मवेशी व्यापार और आवाजाही से जुड़ी जिन घटनाओं में पीड़ितों की पहचान मीडिया रिपोर्टों में सामने आई, उनमें से 90 प्रतिशत हमले मुस्लिमों पर हुए। इनमें कई हमले मवेशियों को पशु बाज़ार ले जाते या बाज़ार से लाते वक्त, व्यापार के आम रास्तों में हुए। इन घटनाओं में पीड़ितों पर हमेशा ही तस्करी का आरोप लगाया गया जबकि इन आरोपों की किसी भी तरह पुष्टि नहीं की जा सकी है। रोज़मर्रा की व्यापारिक गतिविधियों को आसानी से अपराध बना दिया गया है। इस तरह के आरोप कई बार चरवाहों पर भी लगाये गये हैं और उन से उनके मवेशी छीन लिए गये हैं (pg - 11,12)।

4.2 **गौकशी और गौमांस के व्यापार के लिए सज़ा** – 8 राज्यों को छोड़ कर गौकशी बाकि सभी राज्यों में प्रतिबंधित है। हालांकि भैंस को मारना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ कर बाकि सभी राज्यों में मान्य है। लेकिन उन राज्यों में जहाँ इन मवेशियों को मारने पर रोक नहीं है ऐसी कई घटनाएँ हैं जिनमें हमले का सम्बन्ध भैंस, बैल, सांड, इत्यादि मवेशियों से जुड़ा था। इन हमलों में गौरक्षकों के लिए कानूनों के प्रावधानों से ज़्यादा महत्वपूर्ण पीड़ितों की पहचान है जिसे वे निशाना बनाते हैं और पुलिस इनको अनदेखा करती है। देखा गया है कि गोकशी का आरोप गौरक्षकों के लिए एक बहाने की तरह है जिसकी आड़ में वे हमले करते हैं। जैसे रोड दुर्घटना में अगर पशु को हानि पहुँची तो गौरक्षकों ने वाहन जला दिया और वाहनकर्मियों को पीटा। पुलिस का गौरक्षकों को संरक्षण तब खुल कर सामने आता है जब ऐसी घटनाओं में पीटे जाने के बाद भी वाहनकर्मियों पर ही केस दर्ज़ किया गया है। गौ मांस के सेवन और व्यापार का आरोप लगाकर भी गौरक्षकों ने दलितों और मुसलमानों पर हमले किये हैं। दलितों के खिलाफ ऐसी चार घटनाएँ सामने आईं, वहीं मुसलमानों के खिलाफ कई वारदातें हुईं खासतौर पर ईद के करीब (pg – 10, 14)।

कर्नाटक और गोवा के बीच सड़क मार्ग पर गौरक्षकों द्वारा गौ मांस ले जाते हुए वाहनों पर हमलों की कई खबरें सामने आईं जिस से सप्लाई में बाधा आने से गौमांस की कीमत बढ़ गयी और इसका सीधा असर छोटे दुकानदारों और अल्पसंख्यक समुदायों जो बीफ का सेवन करते हैं, पर पड़ा (pg – 14, 15)।

4.3 **जाति, व्यवसाय और विजिलांतिज्म** – गौ–विजिलांतिज्म जाति प्रथा और उन पर आधारित व्यवसायों को बनाये रखने का एक तरीका है। चमड़ा उद्योग में सबसे नीचे स्तर पर काम करने वाले वे दलित समुदाय हैं जो मरे हुए मवेशियों के शव हटाने और चमड़ा उतारने का काम करते हैं। जाति से जुड़ा यह व्यवसाय उनका चुनाव नहीं बल्कि जीविका के लिए कोई और विकल्प न होने के कारण एक मजबूरी है। हमारी रिपोर्ट दिखाती है कि एक तरफ दलितों पर हमले तब हुए जब वे शव हटाने या चमड़ा उतरने का काम कर रहे थे, या दूसरी तरफ जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया, तब भी वे हमलों का शिकार हुए। चार ऐसी घटनाएँ सामने आईं जहाँ दलितों पर हमले तब हुए जब उन्होंने विरोध में जाति आधारित व्यवसाय का हिस्सा बनने से मना कर दिया। दलितों ने गौ–गुंडागर्दी को चुनौती देने की कोशिश की है, या तो गौरक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग कर के या राजनैतिक गोलबंदी के रूप में जैसे कि जनवरी 2018 में मदिगा समुदाय (तेलंगाना) से सम्बन्धित एक घटना में देखने को मिला (pg – 32, Table)।

4.4 **गौ–गुंडागर्दी का कानूनी चेहरा** – लाइसेंस से जुड़े कानूनों और अन्य प्रशासनिक नियमों ने मांस के व्यापार और मवेशी यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। इन नियमों में सांप्रदायिक भेद साफ दिखता है। उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी बूचड़खानों को बंद करने के

फैसले ने कुरैशी समुदाय को निशाना बनाया जो इस व्यवसाय से जुड़े रहे हैं। यह समुदाय भैंस के मांस की स्थानीय मांग को पूरा करता आया है। इनका व्यवसाय बंद होने से स्थानीय ग्रामीण तबका जिसके खानपान की शैली में भैंस का मांस हमेशा से शामिल रहा है, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लाइसेंस से जुड़े कानूनों का उन बीफ व्यापारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिनके पास मशीनीकृत बूचड़खाने हैं और भारत का 50 प्रतिशत बीफ निर्यात इन्हीं बूचड़खानों से होता है। मई 2017 में न्यू रूल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स कानून लाया गया था जो कि मवेशियों को गौकशी के लिए पशुबाजार में बेचने पर प्रतिबन्ध लगाता है। यह हिन्दुत्व संगठनों का एक ऐसा अव्यक्त प्रयास था जो पूरे देश में मवेशियों के मारे जाने पर प्रतिबन्ध लगा सकता था। हालांकि बीफ निर्यातकों के संगठन ने इस कानून के खिलाफ रोष दिखाते हुए जब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दर्ज़ की तब मई में लाये गये नियमों को वापस ले लिया गया। हालांकि गौर करने की बात है कि गैरकानूनी बूचड़खानों पर लगे प्रतिबन्ध के फैसले में कोई संशोधन नहीं किया गया (pg - 20)।

5) अपराध की अर्थव्यवस्था

हमारी रिपोर्ट यह दिखाती है कि किस तरह कानूनों और लाइसेंस की मदद से और गौरक्षकों को खुली छूट के जरिये आम व्यवसायों को अपराध की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया है और साथ ही एक समानान्तर अपराध की अर्थव्यवस्था को पनपने दिया गया है। हफ़्ता वसूली और चोरी इस समानान्तर अर्थव्यवस्था के दैनिक पहलू हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर तात्कालिक और साथ ही दूरगामी प्रभाव हो रहा है। जैसे गोवा और कर्नाटक के बीच से और देश के अन्य कई भागों से हफ़्ता वसूली में बढ़ोतरी की खबरें सामने आईं हैं। गौरक्षक देश भर में सड़कों पर खुले आम वाहनों को रोकते हैं, गौरक्षक पहचानपत्र दिखाते हुए पैसे की मांग करते हैं और उसके बाद ही वाहनों को जाने देते हैं (pg - 23)। इसके अलावा गौरक्षा के नाम पर गौरक्षकों के पास फायदा बटोरने का एक दूसरा तरीका भी है। जब्त किये मवेशी कभी पुलिस की मदद से तो कभी उसके बगैर, गौरक्षकों को दे दिये जा रहे हैं (pg - 24)। इस तरह सम्पत्ति का सीधा मुनाफा गौरक्षकों को हो रहा है। अक्टूबर 2017 में अलवर की एक घटना खुले तौर पर बताती है कि कैसे पुलिस इस अपराधिक अर्थव्यवस्था का भाग है। इस घटना में गौरक्षकों द्वारा एक मुस्लिम दूध विक्रेता से 51 मवेशी जब्त कर लिए गये और पुलिस ने गौरक्षकों के खिलाफ कार्यवाही करने से मना कर दिया (pg - 24)। राजस्थान जैसे राज्यों में तस्करी रोकने के लिए बनाई गयी गौरक्षा चौकियाँ, जहाँ पुलिस तैनात की गयी है, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और हफ़्ता वसूली के नये केन्द्रों के रूप में काम कर रही हैं। उत्तराखंड में गौवंश संरक्षण स्क्वाड हाल ही में बनाया गया है जहाँ गौरक्षकों की पुलिस से मिलीभगत दिखती है। लाइसेंस के ज़रिये गौरक्षकों को किस तरह सशक्त किया जा रहा है यह बिहार में जनवरी 2018 की एक घटना से पता चलता है (pg - 21)। इस घटना में गौरक्षकों ने एक वाहनचालक को गौमांस ले जाने की आशंका पर पीट दिया। पुलिस ने गौरक्षकों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय पास की एक मीट फैक्ट्री में इस आरोप पर छापा मारा कि फैक्ट्री मालिक के पास लाइसेंस नहीं था। गौरक्षा और इसके नाम पर हो रही गुंडागर्दी साफतौर पर एक आपराधिक अर्थव्यवस्था है जहाँ मुस्लिम और दलित वर्ग निशाने पर हैं।

6) राज्य की मिलीभगत

गौरक्षकों को राज्य का संरक्षण, खुली छूट, और दंडमुक्ति जहाँ एक तरफ राज्य और गौरक्षकों की सांठ–गांठ को दर्शाते हैं वहीं इसका दूसरा चेहरा पीड़ितों के खिलाफ हो रही कानूनी कार्यवाही में नज़र आता है। हमारी रिपोर्ट में यह खुलकर सामने आता है कि हालांकि कुछ घटनाओं में गौरक्षकों पर भी कार्यवाही की गयी है पर इनकी संख्या पीड़ितों के खिलाफ की गयी कार्यवाही के सामने कुछ भी नहीं है। जिन घटनाओं के संदर्भ में गौरक्षकों को गिरफ़्तार भी किया गया है, वहाँ उन्हें आसानी से जमानत दे दी गयी है। पेहलू खान की हत्या से जुड़ी कानूनी कार्यवाही पुलिस और प्रशासन के पक्षपाती रवैये का उदाहरण है। पेहलू खान द्वारा अस्पताल में नामित सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया है वहीं खान के साथ हमले का शिकार हुए दो लोगों और ड्राइवर और उसके पिता पर हाल ही में गाय की तस्करी का आरोप लगाया दिया गया है। अगस्त 2016 में मेवात, हरियाणा में इब्राहिम और रशीदा की गौरक्षकों द्वारा हत्या और उनके परिवार की दो बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना में सी.बी.आई. ने हाल में ही बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह काम गौरक्षकों का नहीं बल्कि स्थानीय गुंडों का था। ऐसी घटनाएँ तो आम रहीं हैं जहाँ गौरक्षकों के कहने पर पुलिस ने मुसलमानों पर कार्यवाही करी है। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं – मेवाड़ विश्वविद्यालय में गौरक्षकों द्वारा पीटे जाने के बाद पुलिस का चार कश्मीरी विद्यार्थियों को हिरासत में लेना और बाद में आरोप साबित न होने पर गलतफहमी कह कर छोड़ देना, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बीफ परोसे जाने की आशंका पर छापा मारना, या जयपुर के होटल हैयात रब्बानी में गौमांस बेचने की आशंका पर होटल को जबरन बंद करवाना और दो कर्मचारियों को गिरफ्तार करवाना (pg - 7)। इन सभी घटनाओं में मुस्लिम वर्ग पर कार्यवाही की गयी लेकिन हर घटना में आरोप गलत साबित हुए। मसलन होटल हैयात रब्बानी में जिस मांस को प्रतिबंधित मांस बताकर बवाल मचाया गया वह दरअसल मुर्गे का मांस निकला। पुलिस इन घटनाओं में गौरक्षकों के कहने पर बिना जाँच के ही यह मान लेती है कि पीड़ितों के पास प्रतिबंधित मांस ही पाया गया होगा (pg - 26)।

सुप्रीमकोर्ट ने गाय के नाम पर बढ़ती गुंडागर्दी को रोकने के लिए राज्य सरकारों को सख्त प्रशासनिक कार्यवाही करने का आदेश दिया है, जैसे एक अलग पुलिस फोर्स सुनिश्चित करना जो गौरक्षकों के खिलाफ कार्यवाही करे। लेकिन अब तक इन आदेशों के कोई परिणाम नहीं दिखाई दिए हैं। गाय के नाम पर हिंसा बढ़ती जा रही है। 2018 के पहले तीन महीनों में ही विजिलांतिज्म की सात घटनाएँ जिसमें एक व्यक्ति की जान भी गयी है, सामने आ चुकी हैं। राजस्थान सरकार ने हाल में ही घोषणा की है कि राजस्थान गौसुरक्षा कानून में संशोधन लाया जाएगा जिसके ज़रिये किसी भी ऐसे वाहन को संदिग्ध तौर पर तस्करी के लिए इस्तेमाल किये जाने पर जब्त किया जा सकेगा। हालांकि पुलिस पहले भी वाहन जब्त करती रही है पर अब कानूनी तरीकों से विजिलांते व्यवस्था को और बढ़ावा दिया जा रहा है। गौ–विजिलांतिज्म नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार, जीविका, धार्मिक और व्यावसायिक स्वतंत्रता एवं समानता और न्याय के सिद्धांत पर हमला है। इससे पहले कि यह व्यवस्था हमारे देश में लोकतंत्र का खात्मा कर दे, इसे रोकने की ज़रूरत है। हमारी रिपोर्ट इसी दिशा में एक प्रयास है।

22 मार्च 2018